

रिपोर्ट पटवारी पहाड़ तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम बरथल की खाता संख्या 54, 212, 255, 211, 43 में प्रार्थी का नाम मन्ना प्रताप हरिजन दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम मदन लाल प्रताप हरिजन दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम बरथल की खाता संख्या 54, 212, 255, 211 में दर्ज नाम मन्ना प्रताप हरिजन के बजाय सही इन्द्राज मदन लाल प्रताप हरिजन दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक 15/5/23

19/05/2023  
पटवारी  
प.म. पहाड़  
तहसीलदार (टोंक)

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) निकाशालय तहसीलदार निवाई जिला टोंक

क्रमांक/भू०अ०/2023/10601

दिनांक 06/05/23

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बरथल की जमाबन्दी की खाता संख्या 54, 212, 255, 211, 43 में दर्ज नाम मन्ना प्रताप हरिजन के बजाय सही नाम मदन लाल प्रताप हरिजन दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार निकाशालय निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

क्रमांक/

दिनांक

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं सलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बरथल की जमाबन्दी की खाता संख्या 54, 212, 255, 211 में दर्ज नाम/इन्द्राज मन्ना प्रताप हरिजन के बजाय सही नाम/इन्द्राज मदन लाल प्रताप हरिजन दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार निवाई आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे।

06/05/23  
उपखण्ड अधिकारी  
उपनिवाई  
निवाई (टोंक)